

16.08.2024: पत्रावली पेशी मे ली गई। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थीगण दर्शन सिंह व अप्रार्थीगण गुरनायब सिंह, गुरसाहिब सिंह स्वम उपस्थित आए। अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया की प्रार्थी व अप्रार्थी के मध्य मे आपस मे राजीनाम हो गया है इसलिए प्रार्थना पत्र मे आगे कोई कार्यवाही नही करना चाहते। इसलिए वाद पत्र वर्तमान स्तर पर खारिज (विद्रा) फरमाया जावे। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन प्रार्थी व अप्रार्थी के फर्द अहकाम पर हस्ताक्षर करवाये गये। अप्रार्थीगण की पहचान अप्रार्थी अधिवक्ता श्री रमेशचन्द जोशी द्वारा कि गई। उक्त प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मौजूदा सूरत मे विद्रा (खारिज) किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरबीज तकमील दाखिल दफतर हो।



*(Handwritten signature)*

सहायक कलेक्टर

एवं उपखण्डाधिकारी

हनुमानगढ़